न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2015 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्री अमरजी पटेल पिता श्री पेमजी पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गौतम पटेल पिता श्री देवजी पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री डूंगर पटेल पिता श्री देवजी पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्री गांगजी पटेल पिता श्री देवींग पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्रीमती दलु पिता देवींग पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्रीमती राधा पिता देवींग पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)
6. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी श्री तहसीलदार आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
आसपुर दिनांक 11–06–2015 प्रकरण संख्या
09/2014 वाद

———

उपस्थित :–1– श्री भंवरलाल पण्ड्या अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री एल.एल. बियोला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 से 3
3– राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

——————/——————

निर्णय दिनांक 15–01–2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा–88 53 एवं 92

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य होकर सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार है। उनके विरासती खाता ग्राम मसाणा की वादपत्र की कलम संख्या–2 वर्णित आराजीयात का बंटवाड़ा लिपिकीय अथवा पटवारी हल्का की भूल के कारण 1/3 से कम–ज्यादा हिस्सा हो गया है। 21 बीघा 12 बिस्वा के बजाय वादी के हिस्से में मात्र 6 बीघा 8 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 8 बीघा 3 बिस्वा एवं पतिवादी संख्या 3, 4, 5 के हिस्से में 7 बीघा 1 बिस्वा दर्ज हुआ है। वादी को कम जमीन प्राप्त हुई है। वादी का खसरा संख्या 1473 पर कब्जा है तथा इसी प्रकार अन्य आराजीयात पर कब्जे के बमुकाबले विभाजन त्रुटिपूर्ण तैयार किया गया है। निवेदन किया कि वादी` हक में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध घोषण की जावे कि उन्हें अधिक भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा होने से खसरा संख्या 1473 एवं 141 उसके खाते से कम कर वादी के खाते में दर्ज की जावे, ताकि बराबर का बंटवाड़ा हो सके।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय में वादी स्वयं के बयान होकर साक्ष्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–6–2015 से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–8–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट 1 से 5 की ौर से अधिवक्ता श्री एल.एस. बियोला ने उपस्थिति दी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6 की और से राजकीय पैरोकार ने उपस्थित होकर गुणावगण आधार पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट की बहस में उनके द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराया, वहीं वकील रेस्पोन्डेस्ट संख्या–1 से 5 द्वारा पनः विभाजन प्रस्ताव मौके के आधार पर तलब किये जाने के लिए अपनी सहमति दी। वकील अपीलान्ट द्वारा बाद बहस लिखित बहस व दस्तावेजात पेश किये जो शामिल फाईल होकर रेकर्ड पर है।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने भूमि का असमान विभाजन होने के तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध होने के

बावजूद राजस्व कर्मचारियों को बचाने के लिए स्वेच्छाचारी निर्णय पारित किया है। ऐसे प्रकरणों में धारा–11 जाब्ता दीवानी लागू नहीं होती।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकाड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि पक्षकारों द्वारा पूर्व में करवाये गये बंटवाड़े प्रस्ताव जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–2–2007 को प्रेषित किये गये है । उसमें विभाजन प्रस्ताव में सभी पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा इसी विभाजन के आधार पर पक्षकारों में भूमि का विभाजन कर प्रकरण निष्पादित हो चुका है। किसी वाद या विभाजन प्रकरण में पक्षकारो की सहमति के आधार पर विभाजन निर्णय में पुनः नया वाद लोकर उक्त विभाजन को चुनौति दिये जाने का नया वाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। वादी को पूर्व विभाजन जो कि उसकी सहमति हस्ताक्षर से हुआ है। उसकी अपील भी प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं होती तो फिर उक्त सहमति विभाजन के लिए नया वाद लोकर पूर्व विभाजन को चुनौति दिया जाना अनावश्यक एवं अंतहीन वादकरण को जन्म देगा, अतएव दफा–11 जाब्ता दीवानी के तहत उक्त वाद विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–6–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

श्री अमर जी पटेल पिता श्री पेमजी पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0) बनाम **1– श्री गौतम पटेल पिता श्री देव जी पटेल निवासी मसाणा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (राज0) अन्य–4 व सरकार**

अपील नं0 **29/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**आसपुर** .....मुकाम मुक्र्खे.....**11**.....माह.....**06**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... सन् **2018**.....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री भंवरलाल पण्ड्या**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एल.एस. बियोला** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11–6–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15**..... माह .....**01**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।